मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना

श्री विष्णुदेव साय
माननीय मुख्यमंत्री
छत्तीसगढ़ शासन

शिक्षा मानव संसाधन विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा पर व्यय में निरंतर वृद्धि हो विशेष रूप से तकनीकी और अन्य व्यवसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में। शिक्षा ऋण पर ब्याज के दृष्टिगत रखते हुए मुख्य मंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना द्वारा तकनीकी एवं अन्य व्यव शिक्षा पाठ्यक्रमों मे प्रवेशित आर्थिक रूप से परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए ब्याज अनुदान प्रदा जाती है। यह अनुदान केन्द्र सरकार की छात्र ऋण योजना के तहत मोरेटोरियम अवधि के बाद ब्याज के बोझ को कम करेगा।

श्री विजय शर्मा
माननीय उप मुख्य मंत्री, छ.ग. एवं गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

तकनीकी एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐसे छात्रों जो रूपये 2 लाख की वार्षिक आय से कम वाले परिवारों से आते हैं, को मोरेटोरियम अवधि के पश्चात् ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल 1% की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जायेगा। राज्य के वामपंथ चरमपंथी प्रभावित जिले (LWE) बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, जशपुर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुन्द, गरियाबंद बालोद, सुकमा, कोण्डागांव और बलरामपुर जिले के छात्रों को ब्याज रहित ऋण मिलेगा।

पात्रता

- छात्र छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए।
- नीचे सूचीबद्ध डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी एवं अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम योजना में सम्मिलित है।
- छात्र छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित तथा सक्षम प्राधिकारी (यथा ए.आई.सी.टी., यू.जी.सी) मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित अथवा राज्य से बाहर अधिसूचित शैक्षणिक संस्थान (सूची www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर उपलब्ध) में प्रवेशित हो।
- अधिकतम पारिवारिक आय रुपये 2 लाख होनी चाहिए जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय–प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणि होनी चाहिए।
- ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रुपये 4 लाख है।
- ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है।
- ड्रॉप आउट एवं निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बने रहेंगे किन्तु चिकित्सीय कारणों से, एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रुकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी।

नोडल बैंक – केनरा बैंक इस योजना के तहत अन्य बैंक के ब्याज अनुदान के दावों हेतु नोडल बैंक है। किन्तु छात्र किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकता है।

नोडल विभाग – तकनीकी शिक्षा विभाग योजना के लिए नोडल विभाग है।

पाठ्यक्रमों की सूची – बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी (बी.ई./बी.टेक), मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एम. ई) मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम. टेक.), बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्मा), मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम फार्मा), डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी फार्मा) बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी. एड.), डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी.एड.), मास्टर ऑफ एजुकेशन (एम.एड), मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन्स (एम.सी.ए.), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.), डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (डी.ई.), डिप्लोमा इन मॉडर्न आफिस मेनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन, डिप्लोमा इन कास्टयूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर (डी. आर्क) पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन (पी.जी.डी.सी.ए.) बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी. एड.), मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (एम.पी.एड.), बैचलर ऑफ होमियोपैथी मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बी. एच. एम. एस.), बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.), बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एण्ड योगा साईस (बी.एन.वाई.एस.), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी (बी. यू.एम.एस.), बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग (बेसिक), बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग (पोस्ट बेसिक), मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग, बैचलर ऑफ डेन्टल सर्जरी (बी.डी.एस.), मास्टर ऑफ डेन्टल सर्जरी (एम.डी.एस.), बैचलर ऑफ मेडिसिन एण्ड बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.), बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस (बी.व्ही.एस.सी), बैचलर ऑफ फिशरी साईस (बी.एफ.एस.सी.), बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (डेयरी टेक्नोलॉजी), बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग), बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर (बी. एग्री.) एवं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी. आर्क)

सम्पर्क – योजना के बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाईट www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर जायें।

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष भवन, ब्लाक 3, तृतीय/चतुर्थ तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर

फोन 0771–2331331, वेबसाइट http:// www.cgdteraipur.cgstate.gov.in